न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 17 / 2017 / जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार फतेहगढ़। जिला जैसलमेर	बनाम 1.लेखदान पुत्र स्व. ठकरदान जाति चारण निवासी सांगड़ तहसील फतेहगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 93/2015 बनवान लेखदान बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.03.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री याकूबखां मेहर रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 28.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम सांगड़ के खसरा संख्या 299 रकबा 39.17 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 12.03.2016 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम सांगड़ में समरी खसरा संख्या 151 रकबा 172.10 बीघा पर वादीगण के पूर्वजों के समय का कब्जा काश्त है। वक्त फाइनल सेटलमेंट अधिकारियों ने रिकॉर्ड में रेस्पोडेंट/वादी के नाम चली आ रही भूमि वर्तमान खसरा संख्या 296 में से 108.03 बीघा वादी के खातेदारी दर्ज हो गयी तथा शेष भूमि 64.07 बीघा सिवायचक दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान में 39.17 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त होने से इतनी भूमि पर दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकार बिना किसी ठोस आधार के रेस्पोडेंट की समरी के मालिकाना हक की भूमि बिना कोई जांच किये पड़त सरकार (सिवायचक) में दर्ज कर दिया जो गलत था। अपीलाधीन आराजी पर वादी/रेस्पोडेंट की वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी संवत 2071 से संवत 2074 रेस्पोडेंट के खाते में कमी की गई भूमि का वर्तमान रिकॉर्ड। अपीलाधीन आराजी का नकल नक्शा क्रमांक 1693 दिनांक 29.07.2015 यह साबित करता है कि वक्त समरी सेंटलमेंट खसरा संख्या 151 से बने वर्तमान खसरा संख्या 296 अपीलाधीन आराजी के समीपस्थ (Adjoining) है जिस पर वादी/रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त है। वादी/रेस्पोडेंट स्थाई सैटलमेंट तक लगातार समरी खसरा संख्या 151 में कुल रकबा 172.10 बीघा खातेदार दर्ज रहा है। ढालबांछ वर्ष 1974–75 ग्राम सांगड़ में संवत 2021, 2022, 2025 में खातेदार वादी पर खातेदार जुर्माना कायमी हुई। जिससे यह साबित है कि वादी/रेस्पोडेंट का लगतार कब्जा काश्त रहा है। पर्चा खतौनी ग्राम सांगड़ जिसमे वादी द्वारा समरी खसरा संख्या 151 की किस्त वसूली रकम अदा की गई है जो सहायक सैटलमेंट ऑफीसर से प्रमाणित है। स्थाई सैटलमेंट के तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम सांगड़ जिसमें वादी के नाम दर्ज खसरा संख्या 151 कुल रकबा 172.10 बीघा दर्ज था जो स्थाई सैलमेंट में वादी के नाम 108.03 बीघा खातेदारी में दर्ज की गई तथा शेष रकबा 64.07 बीघा की कमी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन तनकीयात कायम की गई जिसमें से प्रतिवादी द्वारा एक भी तनकी को अपने पक्ष में साबित करने का कोई आधार एवं साक्ष्य पेश नहीं करने से उसके विरूद्ध निर्णित की गई। प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसमें यह साबित होता हो कि वादी/रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों को बिना किसी कारण या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अभाव

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

में समरी सेटलमेंट की प्रविष्टि को हूबहू दोहराना चाहिए था। वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य रूप में बयान शपथ–पत्र एवं वादीगण के गवाह वैणीदान पुत्र मेघूदान जाति चारण निवासी सांगड़ ने अपने शपथ पूर्वक बयान करता हू बताया कि वादी का वक्त जागीर, समरी एवं स्थाई बंदोबस्त से लेकर आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर रहवासी ढाणी, पानी का टांके, धोरे खलिहान आदि बने हुए है। तथा अन्य गवाहन के बयाद वाद–पत्र के समर्थन में है। प्रतिवादी सरकारी पक्ष के गवाह सुमन पटवारी सांगड़ ने अपने बयान में दिनांक 09.03.2015 को यह स्वीकार किया गया है कि जमाबंदी संवत 2071 से 2074 में मौजा सांगड़ के वर्तमान खसरा संख्या 299 रकबा 39.17 बीघा किस्म बंजड़, जो राजकीय सिवायचक दर्ज है। वादग्रस्त भूमि मौजा सांगड़ के खसरा नम्बर 299 की भूमि जो मौके पर काबिल काश्त है। संवत 2071 व 2072 में खसरा संख्या 299 पर वादीगण के नाम अतिक्रमण दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वक्त समरी में वादीगण के वालिद के नाम दर्ज रही हो तो मुझे जानकारी नहीं है। जिससे साबित होता है कि वादी/रेस्पोडेंट का अपीलाधीन आराजी पर अतिचार रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी आधार और बिना कारण वादी की खातेदारी भूमि काटकर राजकीय सिवायचक दर्ज करने में भूल की है। ऐसा करने के लिए वे अधिकृत भी नहीं है। सैटलमेंट द्वारा गलत रूप से बिना किसी आधार के बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको मनमाने तरीके से कमी की गई हैं। भू प्रबंध विभाग को वादीगण की वादग्रस्त आराजी भूमि को कम दर्ज करने का व उसे खातेदारी में कमी कर सिवायचक दर्ज करने का कोई प्राधिकार नहीं रहा है। इस अवधाराणा की पुष्टि निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों से होती हैं।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

1- Maladeen V/s Sri ram 1983 RRD Page No. 64
Settlement entries- A.S.O. had no authority to change name of recorded Khatedar without any order of competent court A.S.O. has only to repeat earlier entry of Jamabandi. – 1969 RRD 231 referred-petitioner, held not become khatedar by an illegal act of ASO since enteries made by fraud-petitioner cannot be treated as tenant on basis of such entry.

2- Tarsingh & Ors V/s Khet Singh & Ors 2003 RRD Page No. 298
"भू प्रबन्ध विभाग को सैटलमेंट के दौरान मात्र पुरानी प्रविष्ठियों को दोहराने का ही अधिकार हैं न कि उन्हें परिवर्तित किये जाने का। यदि किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश से परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो वो उक्त आधार पर कर सकेगा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अन्यथा नहीं। सहायक भू प्रबंधक अधिकारी को न तो किसी के कब्जे काश्त की व खुद काश्त की भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने का अधिकार हैं और न ही गोचर।

3. RRT 2016(1) Page 374 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिधारित विधि का सारवान सिद्धांत है कि Settlement department was not competent to change the entries of the record & they are bound to repeat the entries.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों एवं अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर यह साबित होता है कि वादी/रेस्पोडेंटगण का ग्राम सांगड़ में समरी खसरा 151 में खातेदार रूप में इन्द्राज था परन्तु वक्त सेटलमेंट उसकी प्रविष्टि बिना किसी कारण कमी कर दी गई। इसके बाद भी उसका उपरोक्त अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर दावाकृत राजकीय भूमि पर कब्जा काश्त होता रहा। इससे वादी अपनी समरी बंदोबस्त में दर्ज 64.07 बीघा खातेदारी भूमि को अपने कब्जे काश्त की खसरा संख्या 299 रकबा 39.17 बीघा पाने का अधिकारी ठहरता है। इसी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पुष्ट करते हुए उसे वादग्रस्त राजकीय सिवायचक भूमि में से उसकी वक्त समरी सेटलमेंट में खातेदार रूप में दर्ज भूमि रकबा 39.17 बीघा पर खातेदारी घोषणा की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 93/2015 बनवान लेखदान बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.03.2016 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(नाथूसिंह सवाऊ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner